न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 121/2021 दायर दिनाँक 02.07.2021

वादी

1. बाबूलाल पुत्र पूरणाराम कौम गुर्जर निवासी रेल्वे स्टेशन डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. भू–प्रबंधक अधिकारी, डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीया।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 19.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी रेल्वे स्टेशन डीडवाना का स्थायी निवासी है तथा कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है।

यह है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा सं0 805 रकबा 1.5300 हैक्टे0 वाकै शरहद मण्डाबासनी पटवार क्षेत्र दादूबासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वादी के उक्त खेत में अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने नजरी नक्शे में मार्क ए से बी गै0 मु0 रास्ता किस्म दर्ज कर दी व 0.0700 हैक्टे0 भूमि गै0 मु0 रास्ता में दर्ज कर दी जबकि मार्क ए से बी किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर कभी दर्ज नही था। वास्तविक रूप से मार्क बी से सी ही रास्ता मौके पर प्रारम्भ से ही आपसी सहमति से वादी द्वारा छोड़ा गया है।

यह है कि राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलती से सहवन से मार्क ए से बी रास्ते में डोट–डोट के गलत रास्ता दर्ज क दिया। मार्क बी से सी सीन पर ही रास्ता चालू है।

यह है कि वादीया की प्रार्थना निम्न हैः–

यह है कि खसरा नम्बर 805 के मध्य से नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी डोट–डोट लाईन को हटाया जाकर मार्क बी से सी रास्ता दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। इस आशय [illegible] वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 805 के मध्य से नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी डोट–डोट लाईन को हटाया जाकर मार्क बी से सी रास्ता दुरूस्त किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 121/2021 दायर दिनाँक 02.07.2021

वादी		प्रतिवादी
1. बाबूलाल पुत्र पूरणाराम कौम गुर्जर निवासी रेल्वे स्टेशन डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना। 2. भू–प्रबंधक अधिकारी, डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनाँक 19.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीया की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके शरहद मण्डाबासनी में खसरा नम्बर 805 के मध्य से नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी डोट–डोट लाईन को हटाया जाकर मार्क बी से सी रास्ता दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–...................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:57:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner